राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

ज्येष्ठ 23, सोमवार, शाके 1933–जून 13, 2011
Jyaistha 23, Monday, Saka 1933–June 13, 2011

1514
20/7/11

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 10, 2011

जी.एस.आर. 36 :– राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 5) की धारा 21 द्वारा जैसा अपेक्षित है, राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 में संशोधन हेतु प्रारूप संशोधन नियमों की अधिसूचना इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.10(6)वन/2009 दिनांक 12 जनवरी, 2011 को जारी की गई। जिसका प्रकाशन राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 3(ख) दिनांक 18 जनवरी, 2011 के पृष्ठ 11 एवं 12 पर हुआ है। उसमें उक्त अधिसूचना के राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी।

उक्त संशोधन के प्रारूप नियमों के संबंध में निर्धारित अवधि तक कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सख्या 5) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 को संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :– (1) ये नियम राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2011 कहलायेंगे।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 8 का संशोधन** :– राजस्थान तेंदू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974, जिन्हें आगे उक्त नियम कहा गया है, के नियम 8 के उप नियम (7) में –

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "वन सरंक्षक, प्रादेशिक" को अभिव्यक्ति "मुख्य वन सरंक्षक, संभाग" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति " मुख्य वन संरक्षक" को अभिव्यक्ति "अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन, राजस्थान जयपुर" से प्रतिस्थापित किया जावेगा।

3. **नियम 11 का संशोधन** :– उक्त नियमों के नियम 11 के उप–नियम (4) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :–

"(4) यह निविदा प्रपत्र (तेंदू पत्ता क्रय हेतु) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक के कार्यालय से प्रत्येक प्रपत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क के सन्दाय पर प्राप्त होगा। शुल्क का सन्दाय वन विभाग द्वारा रकम स्वीकार करने के मान्यता प्राप्त तरीकों में से किसी एक तरीके के अनुसार किया जावेगा।"

[संख्या प.10(6)वन/2009]

राज्यपाल की आज्ञा से,

पी.एस. सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।